संख्या-9/2022/279583/60-1099/33/2021

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊःदिनांकः 20 जून, 2022**

विषयः- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-11/2022/363-सामान्य/सैंतालीस-का-4-2022-1/3/96, दिनांक 15.06.2021 प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत है कि स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022-23 में विहित प्राविधानानुसार 30 जून, 2022 तक स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण यथासंभव मेरिट बेस्ड आनलाइन ट्रांसफर प्रणाली के आधार पर किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विभाग में स्थानान्तरण नीति से आच्छादित कार्मिकों का स्थानान्तरण किये जाने हेतु स्थानान्तरण नीति, 2022-23 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4- उक्त के अतिरिक्त स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में स्थानान्तरण नीति से आच्छादित ऐसे कार्मिक जिनका स्थानान्तरण शासन स्तर से किया जाना हैं, के संबंध में परीक्षण करते हुये संबंधित कार्मिकों के सेवा विवरण सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।